अध्याय IV: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

द स्टेट ट्रेडिग कॉपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

4.1 अविवेकी वित्तीय निर्णयों के कारण बकाया राशि की प्राप्ति न होना

एसटीसी ने फिलिपींस में, जीएसडब्ल्यूआईआई के इस्पात संयंत्र को कच्चा माल की आपूर्ति हेतु मैसर्स ग्लोबल स्टील वर्क्स इंन्टरनैशनल इन्क (जीएसडब्ल्यूआईआई) तथा जीएसएचएल (जीएसडब्ल्यूआईआई की नियंत्रक कम्पनी) के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता (4 अप्रैल 2005) किया। एसटीसी के दिशानिर्देशों के गैर अनुपालन, अत्यधिक उच्चतर स्तर पर ऋण सीमा का निर्धारण, संयंत्र की निष्क्रिय स्थिति की उपेक्षा करना, जीएसडब्ल्यूआईआई के संयंत्र में पड़ी हुई सामग्री पर समानान्तर प्रबंधन एजेंसी द्वारा प्रभावी नियंत्रण की असफलता, कैश एण्ड कैरी आधार पर सामग्री की बिक्री (निदेशक मण्डल द्वारा अनुमोदित) में असफलता, पार्टी के साथ टालने योग्य समझौता करार इत्यादि के कारण दिनांक 31 जनवरी, 2017 की तिथि तक, ₹ 220.99 करोड़ के अतिरिक्त व्यापारिक लाभ तथा ₹ 1129.15 करोड़ के ब्याज सहित, ₹ 2101.45 करोड़ की धनराशि अवरोधित रही।

स्टेट ट्रेडिग कॉपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (एसटीसी) को मैसर्स ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर होल्डिंग लिमिटेड (जीआईएचएल)[1], अब ग्लोबल स्टील होल्डिंग लिमिटेड (जीएसएचएल) के नाम से जाना जाता है, से फिलिपिंस तथा बोस्निया में उनकी विभिन्न इकाइयों के लिए आवश्यक कच्चे माल की खरीद में सहभागिता तथा कैश एण्ड कैरी आधार पर आगामी बिक्री के लिए, एक निवेदन प्राप्त हुआ (20 दिसम्बर, 2003)। जीएसएचएल के प्रस्ताव में परिकल्पना की गई थी कि एसटीसी कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं के पक्ष में साख पत्र खोलकर जीआईएचएल के विभिन्न संयंत्रों के लिए आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध करायेगा। तत्पश्चात, एसटीसी एक प्रतिष्ठित समपार्श्विक एजेंसी या एसटीसी द्वारा नामित अन्य कोई एजेंसी के माध्यम से माल का भौतिक अभिरक्षण/समपार्श्विक प्रबंधन करेगी। एसटीसी द्वारा जीएसएचएल/उसकी अनुषंगी कम्पनी को कैश एण्ड कैरी आधार पर माल संबंधित स्थानों को जारी किया जाना था। फिलिपींस में, जीएसएचएल की अनुषंगी कम्पनी, नामत: ग्लोबल स्टील वर्क्स इंन्टरनैशनल इन्क (जीएसडब्ल्यूआईआई) दो पृथक तथा स्वतंत्र उत्पादक

[1] *इस्पात समूह की होल्डिंग कम्पनी*

प्रक्रियाओं (i) हॉटरोल्ड कॉयल (एचआर) से कोल्डरोल्ड कॉयल(सीआर) का उत्पादन तथा (ii) स्लैब से एचआऱ कॉयल/सीआऱ कॉयलका उत्पादन करती थी।

एसटीसी ने कोर्पोरेट सलाह तथा जोखिम प्रबंधन सेवा में विशेषज्ञ, मैसर्स अन्र्स्ट एण्ड यंग (ई एण्ड वाई) से प्रस्तावित सौदों की सरंचना, प्रस्तुत की गई प्रतिभूतियों, मूल्य अस्थिरता के प्रभाव इत्यादि पर विचार करते हुए सलाह ली। ई एण्ड वाई का मत था (जनवरी 2005) कि एसटीसी को कोई प्रत्यक्ष जोखिम नहीं था जब तक कि घरेलू/विदेशी बाजार में बिक्री पर कच्चे माल के स्टॉक का शुद्ध वसूली योग्य मूल्य इसके खरीद के समय के लागत, बीमा और भाड़ा (सीआईएफ) मूल्य से 14.2 प्रतिशत से अधिक न गिरे।

एसटीसी की प्रबंधन समिति (सीओएम) ने दिनांक 7 जनवरी 2005 को आयोजित अपनी 225वीं बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया तथा सिफारिश की कि प्रस्ताव एसटीसी के निदेशक मण्डल के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाए क्योंकि यह एसटीसी के लिए लाभकारी था। निदेशक मण्डल ने जीएसएचएल तथा फिलिपींस में इसकी अनुषंगी, नामत: ग्लोबल स्टील वर्क्स इंन्टरनैशनल इन्क (जीएसडब्ल्यूआईआई) के साथ तृतीय देश लेन देन का सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया (27 जनवरी 2005)।

तदनुसार, एसटीसी ने मैसर्स ग्लोबल स्टील वर्क्स इंन्टरनैशनल इन्क (जीएसडब्ल्यूआईआई जिसका नाम ग्लोबल स्टील फिलीपींस इंक (जीएसपीआई) रखा गया तथा जीएसएचएल (जीएसडब्ल्यूआईआई की नियंत्रक कम्पनी) के साथ एक वर्ष के लिए वैध एक त्रिपक्षीय क्रय तथा विक्रय समझौते पर हस्ताक्षर (4 अप्रैल 2005) किए। एसटीसी ने कच्चे माल के समपार्श्विक प्रबंधन हेतु नामांकन आधार पर चयनित ऐस आडिट कन्ट्रोल एण्ड एक्सपर्टाइज़, जेनेवा (एसीई) के साथ एक वर्ष के लिए एक समपार्श्विक प्रबंधन समझौते (सीएमए) पर हस्ताक्षर किए (26 अगस्त 2005)। बाद में, एसीई के अनुबंध को 30 जून 2007 तक विस्तारित कर दिया गया। तत्पश्चात, एसटीसी ने दिनांक 01 जुलाई 2007 से केन्द्रीय भण्डारण निगम (सीडब्ल्यूसी) को सीएमए के रूप में नियुक्त किया। एसटीसी का व्यापारिक लाभ, साखपत्र के मूल्य और एलसी खोलने के लिए व्यय का 1.25 प्रतिशत था। यह राशि माल के बिक्री/उठाने पर/मियाद अवधि के समाप्त होने पर, जो भी पहले हो जीएसडब्ल्यूआईआई द्वारा देय था।

जीएसपीआई ने कच्चे माल तथा तैयार माल के मूल्यों में काफी हद तक गिरावट के कारण सितम्बर 2008 में कच्चे माल के रूपान्तरण की प्रक्रिया तथा तैयार माल की बिक्री को रोक दिया। एसटीसी को अक्तूबर 2008 तक ₹ 2135.91 करोड़ की धनराशि के वित्तपोषण के प्रति ₹ 1460.59 करोड़ प्राप्त हुए थे। मूल्यों में गिरावट के कारण स्टॉक के वर्तमान मूल्य

तथा एसटीसी द्वारा वित्तपोषित धनराशि के बीच 37 मिलियन अमेरिकन डॉलर का अन्तर आ गया। जब फिलिपींस प्लांट ने मई 2009 में पुनः उत्पादन प्रारम्भ किया, तब एसटीसी के निदेशक मण्डल ने, इस शर्त पर कि जीएसपीआई, बकाया राशि के भुगतान के लिए एसटीसी द्वारा उन्हे आपूर्ति किए गए कच्चे माल की लागत पर अतिरिक्त 50 अमेरिकन डॉलर प्रति मीट्रिक टन का भुगतान करेगी, जीएसपीआई को कम मूल्य की इस्पात की कच्ची सामग्री के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की (मई 2009)। जीएसपीआई के स्टॉक के परिसमापन (बिक्री) को सुगम बनाने के लिए, एसटीसी ने एक अन्य कम्पनी मैसर्स टोपवर्थ स्टील्स तथा पॉवर प्रा.लि. मुम्बई[1] के लिए मैसर्स जीएसपीआई से तैयार माल के आयात हेतु ₹ 300 करोड़ की धनराशि के वित्तपोषण की भी स्वीकृति दी (जुलाई/सितम्बर 2009)। आगे एसटीसी ने जीएसपीआई के तैयार माल के आयात के लिए जीएसएचएल की अनुषंगी कम्पनी, मैसर्स इस्पात उद्योग लिमिटेड (इस्पात)[2], के पक्ष में 34.53 मिलियन अमेरिकन डॉलर (₹ 45.84 प्रति अमेरिकन डॉलर की दर पर ₹ 158.84 करोड़ (लगभग बराबर) मूल्य की चार एलसी खोली (मई 2010)। बकाया राशि की अनियमित वसूली के कारण, जीएसपीआई से वसूल की जाने वाली बकाया राशि ₹ 903.11 करोड़ तक बढ़ गई (मार्च 2010)। जीएसपीआई ने अन्ततः अप्रैल/मई 2010 के आसपास अपना उत्पादन संयंत्र बन्द कर दिया।

एसटीसी ने जीएसपीआई/जीएसएचएल को एक पारस्परिक रूप से सहमत समय सीमा के अन्दर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा। जीएसपीआई ने बकाया राशि का भुगतान किश्तों में किए जाने का वचन दिया (जुलाई 2010)। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि जीएसपीआई द्वारा दिए गए तीन चैक़, जो प्रत्येक 5 मिलियन अमेरिकन डॉलर मूल्य के थे, बाउंस हो गए (15 नवम्बर 2010)। चूक के होने पर, एसटीसी ने जीएसपीआई के अध्यक्ष, निदेशक तथा प्रधान अधिकारियों के विरूद्ध निगोशिएबल इंस्ट्रुमैंट्स अधिनियम की धारा 138 के तहत कानूनी नोटिस जारी किया। मार्च 2011 में, जीएसपीआई/ जीएसएचएल ने एसटीसी को सूचित किया कि उन्होंने जीएसपीआई में, जिसके प्लांट की कीमत लगभग 800 मिलियन अमेरिकन डॉलर है तथा जिसकी 2.4 मिलियन मीट्रिक टन की क्षमता है, रणनीतिक निवेशक को शामिल करने तथा/या इसकी शेयरधारिता के विनिवेश का निर्णय लिया है। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, एसटीसी को जीएसएचएल/जीएसपीआई पर उसके दावे की राशि के बराबर प्राप्तियों पर एक सुरक्षित लेनदार के रूप में शर्त रहित प्रथम प्रभार दिया जाना था। जीएसएचएल/जीएसपीआई ने बिना भुगतान हुए लौटाये हुए चैक़ के बदले में जून 2011 को बैंक ऑफ इंडिया, सिंगापुर, पर देय 168 मिलियन अमेरिकन

[1] *मूल अनुबंध वास्तविक उपयोगकर्ता/उपभोक्ता टोपवर्थ के लिए कच्चे माल की खरीद हेतु था*

[2] *बाद में मै. जीएसएचएल से मै. जेएसडब्ल्यू इस्पात स्टील लि. द्वारा प्राप्त होने के कारण 2010-11 तक*

डॉलर के 20 चैक तथा बारक्लेज़ प्राइवेट बैंक, लंदन पर देय 85 मिलियन अमेरिकन डॉलर का एक चैक़ सौंपे, जिन्हें इसलिये भुनाया नहीं जा सका क्योंकि जीएसएचएल ने उन्हें मिलने वाले भुगतान में देरी के कारण एसटीसी से और अधिक समय दिए जाने का अनुरोध किया था। जीएसएचएल/जीएसपीआई ने संयंत्र की रणनीतिक बिक्री के बहाने और समय की माँग की। एसटीसी ने जीएसएचएल/जीएसपीआई के निवेदन को अस्वीकृत (14 जुलाई 2011) कर दिया तथा उन्हें पांच दिन के अन्दर सम्पूर्ण बकाया धनराशि का भुगतान एसटीसी को करने के लिए कहा। जीएसएचएल/जीएसपीआई ने भुगतान का माध्यम, समय सीमा, कार्यक्रम, ब्याज राशि की मात्रा, भुगतान प्राप्ति का माध्यम तथा भुगतान की सुरक्षा का तरीका निर्धारित करने की समझौता प्रक्रिया प्रारम्भ करने का प्रस्ताव रखा (06 सितम्बर 2011)। एसटीसी कथित प्रस्ताव पर सहमत हो गया तथा दोनों पक्ष अर्थात एसटीसी तथा जीएसएचएल/जीएसपीआई ने अपने संबंधित मध्यस्थ नामित किए। तत्पश्चात, 15 नवम्बर 2011 को सुलह समझौता करार किया, जिसके अनुसार जीएसएचएल निम्निलिखित तरीके से 355.82 मिलियन अमेरिकन डॉलर की धनराशि का भुगतान करने हेतु सहमत हो गया:

- समझौता/करार/अवार्ड की तारीख से लेकर 90 दिन के अन्दर 38 मिलियन अमेरिकन डॉलर।
- समझौता/करार/अवार्ड पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से लेकर 180 दिन तक या पहले 317.82 मिलियन अमेरिकन डॉलर की शेष राशि।

इस पर भी सहमति हुई कि यदि समझौता करार की तारीख से, जीएसएचएल/ जीएसपीआई द्वारा प्रथम किस्त का भुगतान नहीं किया गया तो 90 दिन समाप्त होने पर, समझौता करार लागू हो जायेगा तथा जीएसएचएल के निवेश शीघ्र निष्पादन योग्य हो जाएंगे।

जीएसएचएल/जीएसपीआई के चेयरमैन ने एसटीसी से दिसम्बर 2012 तक की समयसीमा को और आगे बढ़ाने के लिए निवेदन किया (26 अप्रैल 2012)। पार्टी द्वारा दूसरी किस्त के भुगतान करने में असमर्थता को ध्यान में रखते हुए, जीएसएचएल/जीएसपीआई के निवेदन को अन्तिम अवसर के रूप में स्वीकार करने को एसटीसी सहमत हुआ। 17 मई 2012 को 317.82 मिलियन अमेरिकन डॉलर की दूसरी किस्त (ब्याज के साथ) के भुगतान की अवधि को बढ़ाने के लिए निम्नानुसार "अतिरिक्त समझौता करार" किया गया:

- दिनांक 15 नवम्बर 2011 के समझौता करार के तहत अन्तिम किस्त के भुगतान की तिथि अर्थात् 13 मई 2012 से जीएसएचएल/जीएसपीआई को 90 दिन के भीतर 100 मिलियन अमेरिकन डॉलर का भुगतान करेगी।

- 13 मई 2012 को या उसके 180 दिन पहले बढ़ाई गई अवधि पर 317.82 मिलियन अमेरिकन डॉलर की बकाया राशि।

आगे यह भी सहमति हुई कि यदि जीएसएचएल/जीएसपीआई द्वारा समझौता करार की तिथि से पहली किश्त का भुगतान नहीं किया गया तो समझौता करार 90 दिन की समाप्ति पर तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगा।

जीएसएचएल/जीएसपीआई ने "अतिरिक्त समझौता करार" का भी सम्मान नहीं किया। एसटीसी ने अगस्त 2014 में दिल्ली उच्च न्यायालय में कार्यान्वयन याचिका दायर की। न्यायालय ने एसटीसी को निर्णय के प्रवर्तन हेतु उचित अदालत से सम्पर्क करने की स्वतंत्रता देते हुए न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के आधार पर मामले को खारिज कर दिया (9 मार्च 2015)। अंततः एसटीसी भारत के उच्चतम न्यायालय गई तथा उनकी विशेष अनुमति याचिका संख्या 14585/2015 वर्तमान में न्यायालय में लम्बित है। एसटीसी ने जीएसएचएल/जीएसपीआई के ख़िलाफ़ उनकी/सहायक/सहयोगी/सहभागी कंपनियों द्वारा उनके शेयरों/निवेशो/परिसंपत्तियों के विलयन के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक शिकायत भी दर्ज की (6 जून 2015)। समझौता करार (15 नवम्बर 2011) तथा "अतिरिक्त समझौता करार" (17 मई 2012) के फलस्वरूप, एसटीसी को जीएसएचएल/जीएसपीआई से ₹ 821.13 करोड़ (31 जनवरी 2017 तक) संचयी भुगतान को प्राप्त किया। तथापि, जीएसएचएल/जीएसपीआई से वसूली योग्य कुल बकाया राशि दिनांक 31 जनवरी 2017 को बढ़कर ₹ 2101.45 करोड़ हो गई जिसमें ₹ 1129.15 करोड़ का ब्याज तथा ₹ 220.99 करोड़ का अतिरिक्त व्यापार लाभ सम्मिलित था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि:

- एसटीसी ने त्रिपक्षीय समझौते के उपनियम 1, जिसमें केवल कच्चे माल की उपलब्धता को सुगम बनाने की बात थी, का उल्लंघन करते हुए कच्चे माल के मूल्य के बदले में तैयार माल उत्पादों की आपूर्ति की सुविधा जीएसपीआई को दी (सितम्बर 2005)। जीएसपीआई के तैयार उत्पादों से कच्चे माल के इस रूपांतरण से, ₹ 990.65 करोड़ के स्टॉक, तैयार माल सहित का संचयन हुआ (मार्च 2011)।

- प्रबंधन त्रिपक्षीय समझौते के उपनियम 13 "रिस्क सेल", जिसके अनुसार जीएसपीआई के निर्धारित अवधि में डिलिवरी लेने में असफल होने पर, जीएसपीआई को 15 दिन की पूर्व सूचना के बाद किसी अन्य पार्टी को जीएसपीआई के जोखिम और लागत पर, शेष माल, यदि कोई है, के निबटान का अधिकार एसटीसी को होगा, के तहत स्टॉक का निबटान करने में असफल रहा। जीएसएचएल/जीएसपीआई

द्वारा भुगतान में लगातार असफल रहने पर रिस्क सेल को प्रभावी करने के बजाय एसटीसी ने उनके साथ सुलह समझौते (15 नवम्बर 2011 तथा 17 मई 2012) किये जिनका जीएसएचएल/जीएसपीआई ने सम्मान नहीं किया।

- एसटीसी ने व्यापार दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक 45 दिन में आवश्यक स्टॉक के निरीक्षण तथा अन्य पक्ष द्वारा स्टॉक का वार्षिक भौतिक सत्यापन नहीं कराया। स्टॉक की स्थिति का कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को नहीं दिखाया गया (मार्च 2016)।

- इस तथ्य के बावजूद कि संयंत्र बंद होने वाला था, एसटीसी ने अपना जोखिम ₹ 25 करोड़ (जीएसएचएल द्वारा उनके दिसम्बर 2003 के प्रस्ताव में उल्लिखित) से अक्टूबर 2005 में ₹ 241.54 करोड़ तक तथा उसके बाद फरवरी 2008 में ₹ 925.47 करोड़ तक बढ़ाया जिससे एसटीसी का जोखिम उल्लेखनीय रूप से बढ़ गया।

- त्रिपक्षीय समझौते के उपनियम 3.3 के उल्लंघन में एसटीसी ने जीएसएचएल/ जीएसपीआई की ओर से साख पत्र को 120 दिन की निर्धारित अवधि के स्थान पर 180 दिन के लिए खोला।

- एसटीसी के व्यापारिक दिशा-निर्देशों में निर्धारित ईएमडी के 20 प्रतिशत से 25 प्रतिशत की अपेक्षा कम्पनी ने जीएसपीआई की ओर से खोले गये साख पत्र की मूल्य का 10 प्रतिशत पर ईएमडी निर्धारित किया। इसके अतिरिक्त, स्टॉक के मूल्य में आई ₹ 179.45 करोड़[1] की कमी के बावजूद (अक्टूबर 2008 से मई 2009) एसटीसी ने जीएसपीआई से अपने वित्तीय हितों को सुरक्षित रखने के लिए अतिरिक्त् ईएमडी प्राप्त नहीं की।

- एसटीसी ने फिलीपीन्स में जीएसपीआई के संयंत्र से माल के आयात के लिए इस्पात इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (इस्पात) की ओर से 34.53 मिलियन अमेरिकन डॉलर मूल्य के 4 साख पत्र स्थापित किये (मई 2010) ।जीएसपीआई ने इस्पात को माल की सप्लाई किये बगैर सभी साख पत्रों का नकदी करण करा लिया। जीएसपीआई ने एसटीसी को सूचित किया (27 जून 2011) कि अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण इस्पात को माल स्थानांतरित नहीं किया जा सका, जिसके लिए जीएसपीआई ने पूरी जिम्मेदारी को स्वीकार किया तथा एसटीसी को वास्तविक भुगतान की तिथि तक सभी खर्चों तथा ब्याज के साथ सम्पूर्ण धनराशि के भुगतान का दावा किया। एसटीसी ने जीएसपीआई की उक्त कार्रवाई पर आपत्ति जताई तथा जीएसपीआई को सूचित

[1] ***37 मिलियन अमेरिकन डॉलर @ ₹ 48.50 प्रतिडॉलर***

किया (1 जुलाई 2011) कि जीएसपीआई तथा इस्पात के बीच आपराधिक षड़यंत्र के लिए उन पर उचित कानूनी कार्रवाई शुरू करने के लिए एसटीसी अपना अधिकार सुरक्षित रखती है। सुलह समझौते (नवम्बर 2011) के लिए सहमति जताते हुए, एसटीसी ने जीएसपीआई के निवेदन को स्वीकार कर लिया। हालाँकि, लेखापरीक्षा को इस सम्बन्ध में एसटीसी द्वारा की गई कानूनी कार्रवाई का कोई अभिलेख नहीं मिला।

- इस तथ्य के बावजूद कि जीएसएचएल/जीएसपीआई ने पहले सुलह समझौते (नवम्बर 2011) का पालन नहीं किया, प्रबंधन ने पहले सुलह समझौते के प्रावधानों के तहत जीएसएचएल/जीएसपीआई की परिसम्पत्तियों को क्रियान्वित करने के स्थान पर "अतिरिक्त समझौता करार" (17 मई 2012)। एसटीसी ने दिल्ली हाईकोर्ट में 13 दिसम्बर 2012 को कार्यान्वयन याचिका सं. 198662/2012 दायर की जिसे रजिस्ट्री द्वारा उठाई गई आपत्तियों के कारण वापस ले लिया गया। एसटीसी ने अगस्त 2014 में संशोधित कार्यान्वयन याचिका दायर करने में 20 माह का समय लिया। जिसका दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा निपटान कर दिया गया (9 मार्च 2015)।

- एसटीसी ने इन मामलों में कानूनी खर्चों पर ₹ 8.44 करोड़ (मार्च 2016) का व्यय किया।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (सितम्बर, 2015) कि:

क) प्रबंधन का निर्णय केवल ई & वाई के विचारों पर आधारित नहीं था जो केवल प्रारम्भिक प्रपत्र अबाध्यकारी था तथा इसलिए प्रबंधन द्वारा पूरी तरह से नहीं अपनाया गया।

ख) कैश एण्ड कैरी प्रणाली से रूपान्तरण प्रणाली में बदलाव त्रिपक्षीय समझौते के प्रावधानों के अनुच्छेद 4.1.1 तथा 4.1.2 द्वारा कवर किया गया था।

ग) पार्टी के जोखिम तथा लागत पर माल बेचना यद्यपि, त्रिपक्षीय समझौते में उपलब्ध था, परन्तु वाणिज्यिक कारणों तथा उसमें कानूनी निहितार्थों के कारण ऐसा न करने का निर्णय किया गया।

घ) एसटीसी ने जीएसएचएल/जीएसपीआई के साथ सुलह के लिए वार्ता द्वारा स्टॉक की उपलब्धता की स्थिति से किसी भी तरह समझौता नहीं किया, चूँकि एसटीसी के पास स्टॉक को गिरवी रखा रहना जारी था तथा कम्पनी कभी भी स्टॉक बेचने के अधिकार का प्रयोग कर सकती थी, यदि देनदार एसटीसी को बकायादेयों का भुगतान करने में असफल होता है, जैसाकि सुलह समझौते में निर्धारित था।

ङ) संयंत्र के बन्द होने के कारण स्टॉक का भौतिक सत्यापन शुरू नहीं किया जा सका तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों की सलाह पर, लेखा बही में इसे असुरक्षित रूप में दिखाया गया।

उत्तर नीचे दिये दृष्टिकोण से स्वीकार्य नहीं था:

क) ई एवं वाई द्वारा दिया गया मत इस प्रस्ताव के अनुमोदन हेतु निदेशक मंडल को प्रस्तुत किया गया एक महत्वपूर्ण विचार विमर्श था। इस सम्बन्ध में 15 मई 2009 को आयोजित एसटीसी की 557वीं बैठक में एसटीसी के निदेशक मंडल ने प्रबंधन को ई & वाई द्वारा उठाए गए जोखिम विश्लेषणों को व्यवहार में न लाये जाने के कारणों की जाँच करने का निर्देश दिया था। निदेशक मंडल ने यह विचार भी प्रकट किया था कि 14.2 प्रतिशत की अधिकतम सीमा का उल्लंघन करने पर तुरंत आवश्यक कार्रवाई की जानी चाहिए थी।

ख) उत्तर में संदर्भित त्रिपक्षीय समझौते के उपनियम 4.1.1 तथा 4.1.2 में कैश तथा कैरी के आधार पर माल जारी करना निर्धारित था तथा रूपान्तरण आधार पर करने की अनुमति नहीं दी गई।

ग) एसटीसी को स्वयं व्यापार मॉडल के अनुमोदन के समय फिलिपींस में कानूनी इकाई के रूप में उपस्थिति न होने पर कानूनी निहितार्थों का आकलन कर लेना चाहिए था। ऐसा करने में असफल रहने पर त्रिपक्षीय समझौते में "रिस्क सेल" उपनियम को उपयोग करने की कम्पनी की क्षमता में कमी आई।

घ) स्टॉक के भौतिक सत्यापन के अभाव में एसटीसी के पक्ष में गिरवी दस्तावेज़ों का कोई उपयोग नहीं है। जीएसपीआई की अभिरक्षा में रखे गए कच्चे माल के स्टॉक की सूचना लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराई गई।

इस प्रकार, समझौते की शर्तों के दोषपूर्ण कार्यान्वयन के कारण एसटीसी जीएसएचएल/ जीएसपीआई से ₹ 2101.45 करोड़ (31 जनवरी 2017 की स्थिति), प्राप्त नहीं कर सकी, जिसमें ₹ 1129.15 करोड़ का ब्याज तथा ₹ 220.99 करोड़ का अतिरिक्त व्यापार लाभ शामिल है।

मंत्रालय को दिसम्बर 2016 में मामले से अवगत कराया गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2017)।